न्यायालय कलेक्टर कटनी

राजस्व आदेश अनुवृत्ति – पत्र

विषयः- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटन बावत्। प्रकरण क्रमांक/ 118 /अ-19/2015-16

02.09.2016 प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद से प्राप्त। अवलोकन किया। प्रकरण पंजीबद्ध हो।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि जल संसाधन संभाग कटनी के द्वारा सिंहुड़ी जलाशय हेतु उपयोग की गई 15.50 हे0 वन भूमि के बदले ग्राम भखरवारा तहसील बहोरीबंद कटनी स्थित भूमि ख0नं0 800 का अंश रकवा 31.00 हे0 वैकल्पिक भूमि के रूप में वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई। इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक/05/अ-19/13-14 में पारित आदेश दिनांक-28.01.2014 के द्वारा उपरोक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई।

वन संरक्षक सामान्य वन मंडल कटनी द्वारा पत्र दिनांक-27.12.2014 प्रेषित कर लेख किया गया कि ग्राम भखरवारा स्थित भूमि ख0नं0 800 रकवा 31.00 हे0 भूमि वनकक्ष पी-214 कुआं वीट में सम्मिलित होने के कारण उक्त क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना बनाया जाना संभव नहीं है। अतः ग्राम देवरीभार स्थित भूमि ख0नं0 280 रकवा 31.68 हे0 भूमि जो कि बड़े झाड़ का जंगल मद मे दर्ज भूमि है उसे हस्तांतरित किये जाने का निवेदन है। जल संसाधन संभाग कटनी द्वारा वन विभाग द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित भूमि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया।

जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद से जॉच प्रतिवेदन लिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद/नायब तहसीलदार स्लीमनाबाद द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण दर्ज कर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया। इश्तहार प्रकाशन पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं हुई है। स्थानीय संस्था ग्राम पंचायत बिचुवा द्वारा ग्राम सभा दिनांक-28.04.2016 को पारित प्रस्ताव क्रमांक-10 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने की सहमति जताई गई है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार ग्राम देवरीभार प0ह0नं0 72 की भूमि ख0नं0 280 रकवा 31.68 हे0 मद बड़े झाड़ का जंगल की 31.00 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने व वनीकरण हेतु पूर्ण उपयुक्त होने के कारण अनुशंसा की है। प्रश्नाधीन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण आदि नहीं है। अतः भूमि जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि ग्राम कछारगांव वनखंड क्र0 पी 223 के रकवा 15.50 हे0 के बदले वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक कठिनाई नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त भूमि आवंटन की अनुशंसा की गई है।

कलेक्टर
कटनी (म.प्र.)

राजस्व आदेश अनुवृत्ति – पत्र

विषयः- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटन बावत्। प्रकरण क्रमांक/ 48 /अ-19/2015-16

1	2	3
	मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के जॉच प्रतिवेदनों एवं प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परिशीलन किया गया। क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भखरवारा स्थित भूमि ख0नं0 800 रकवा 31.00 हे0 भूमि वन विभाग को आवंटित की गई थी। उक्त भूमि वनकक्ष पी-214 कुआं वीट में सम्मिलित होने के कारण वन विभाग द्वारा देवरीभार प0ह0नं0 72 की भूमि ख0नं0 280 रकवा 31.68 हे0 मद बड़े झाड़ का जंगल की की भूमि में से 31.00 हे0 भूमि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया। जल संसाधन संभाग कटनी द्वारा भी वन विभाग द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित भूमि आबंटित किये जाने का अनुरोध किया गया। इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक/05/अ-19/13-14 में पारित आदेश दिनांक-28.01.2014 के द्वारा वन विभाग को आवंटित ग्राम भखरवारा स्थित भूमि ख0नं0 800 रकवा 31.00 हे0 भूमि का आधंटन निरस्त करते हुए आवंटित भूमि वापस राजस्व विभाग के पक्ष में प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण क्रमांक/05/अ-19/13-14 कमिश्नर महोदय, जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रेषित कियां गया। कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्रमांक-1002/एक-2/2016 जबलपुर दिनांक-29.08.2016 के माध्यम से उपरोक्त आशय की अनुमति प्राप्त हुई है। प्राप्त अनुमति के आधार पर प्रकरण क्रमांक/05/अ-19/13-14 में पारित आदेश दिनांक-28.01.2014 निरस्त किया जा चुका है। प्रकरण की उक्त विवेचना, अधीनस्थ न्यायालयों के जॉच प्रतिवेदनों एवं प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजों से सहमत होते हुये सिंहुड़ी जलाशय योजना से प्रभावित कछार गांव वनखण्ड क्रमांक पी0 223 की 15.50 हे0 भूमि के बदले ग्राम देवरीभार प0ह0नं0 72 स्थित ख0नं0 280 रकवा 31.68 हे0 बड़े झाड़ का जंगल मद की भूमि में से 31.00 हे0 भूमि जो प्रकरण में संलग्न नक्शा प्रदर्श पी-1 में लाल स्याही से चिन्हांकित है को क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। नक्शा प्रदर्श पी-1 आदेश का भाग माना जाये। आदेश की प्रति वन संरक्षक, सामान्य वन मण्डल, अधीक्षक, भू-अभिलेख, एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग कटनी को भेजी जाए। प्रकरण अभिलेख दुरूस्ती हेतु अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद को भेजा जाये। कलेक्टर कलेक्टर कटनी (म.प्र.) अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद	